तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा (भीलवाड़ा) — प्र०क्र० 7/2022 धारा 54 — हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — कालू V/S चुन्नी बाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० परोकार-सरकार उप० विपक्षी सं. 2 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी सं. 2 से 4 के अधिवक्ता ने जवाब दिनांक 05/07/2022 को पेश किया जिसे शा० फा० किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करना चाहता हो तो उतनी भूमि विपक्षी के द्वारा रास्ता दिये जाने पर सहमति जताई। प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड व में बहस पर मनन किया राजस्व रिकॉर्ड व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल जाकर शा०फा० किया गया। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो। शुमार होकर उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:55:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नंबरः– 20/2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1.जगु पुत्र उदा जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.चुन्नी पत्नी प्रताप जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2.बंशी पुत्र प्रताप जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3. माधु पुत्र प्रताप जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

4 राजु पुत्र प्रताप जाति बलाई उम्र व्यस्क निवासी निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

5 गणेश पुत्र भवाना जाति भील उम्र व्यस्क निवासी निवासी सेणुन्दा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेडा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. श्री मुकेश सिह तंवर — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बन्दु सिह — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 से 04

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक 12.07.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 254 रकबा 0.0379 है0 आराजी नं0 276 रकबा 0.3541 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि सेहणुन्दा से गोरधनपुरा आम रोड़ आराजी नं0 250/1 चारागाह मे रास्ता रिकोर्ड मे दर्ज होकर आराजी नम्बर 250/2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है विपक्षीगण के आराजी नं0 2311/250 रकबा 1.5176 है. जो उक्त आराजियात को दाक भागो मे विभाजित करता है 2311/250 के उतर पश्चिम भाग का रकबा 0.1897 है0 व रास्ते के प्रयोग मे रकबा 0.0415 है0 तथा दक्षिण पुर्वी भाग का रकबा 1.2864 है0 बनता है आराजि नम्बर 2311/250 का कुल रकबा 1.5176 है0 है तथा इस से आगे विपक्षी सं. 2 से 4 के आराजी सं. 251 रकबा 1.3279 है0 मे से रकबा 0.0379 है0 से निकलकर वादी की भूमि आ0नं0 255/1 तक जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 [illegible] आने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण की नियत में फितुर आने से आये दिन रास्ते में अवरोध [illegible] करते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का [illegible] सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 254 रकबा 0.0379 है0 आराजी नं0 276 रकबा 0.3541 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि सेहणुन्दा से गोरधनपुरा आम रोड़ आराजी नं0 250/1 चारागाह मे रास्ता रिकोर्ड मे दर्ज होकर आराजी नम्बर 250/2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है विपक्षीगण के आराजी नं0 2311/250 रकबा 1.5176 है. जो उक्त आराजियात को दाक भागो मे विभाजित करता है 2311/250 के उतर पश्चिम भाग का रकबा 0.1897 है0 व रास्ते के प्रयोग मे रकबा 0.0415 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

यह है कि प्रार्थी का [illegible]

तथा दक्षिण पुर्वी भाग का रकबा 1.2864 है0 बनता है आराजि नम्बर 2311/250 का कुल रकबा 1.5176 है0 है तथा इस से आगे विपक्षी सं. 2 से 4 के आराजी सं. 251 रकबा 1.3279 है0 आता जाता में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारत मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 15.03.2021 को विपक्षी संख्या 01 व 05 बावजदू सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए तथा विपक्षी सं0 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता बंटूसिंह उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसे शा0फा0 किया गया विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 02.03.2021 को अधिकार पत्र मय दो तरफा सुनवाई का प्रार्थनापत्र मय जवाब पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दो तरफा प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही की।जिस पर इाक तरफा कार्यवाही की गई भू0अ0निरीक्षक बेमाली से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। प्रकरण में विपक्षी ने जबाव पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02 से 04 ने मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करता है उतना ही रकबा प्रार्थी विपक्षी संख्या 02 से 04 को देता है तो विपक्षी संख्या 02 से 04 उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। तथा अपनी आराजी के दो टुकडे नही करने बाबत निवेदन किया प्रार्थी के अधिवक्ता ने रास्ते की एवज मे नियमानुसार क्षतिपुर्ती शुल्क अदा कर रास्ता दिये जाने का निवेदन किया अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या 02 से 04 के सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा आ0नं0 251 रकबा 1.3279 है0 बारानी ।।। विपक्षी सख्या 01 लगायत 04 के नाम दर्ज है एवं आ0 नं0 2311/250 रकबा 1.5176 है0 किस्म बजंड जो विपक्षी सख्या 05 के नाम दर्ज है। मे से 15 फिट चौडाई का रास्ता आ0नं0 2311/250 की उत्तर पश्चिम मेड के सहारे –सहारे व आ0नं0 251 की दक्षिणी मेड के सहारे –सहारे (नक्शा ट्रेश मे दर्शाये अनुसार) सार्वजनिक रास्ते के रूप मे कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शें में रास्ते की तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड़ में अमल–दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार करेंडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे की उक्तानुसार रास्ते के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की डी. एल. सी. दर से दोगुना से प्रतिकर राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सख्या 01 लगायत 05 को हिस्से अनुसार क्षति पूर्ति अदा की जावे

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:55:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा